

विस्तार प्रश्न क्र. 6524

परिशिष्ट अ

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग, उज्जैन

क्रमांक	प्रश्न का नाम	वर्ष	1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक सिविल उपायुक्त की चपुली की गई राशि	व्यय राशि	कार्य का नाम जिस पर उक्त राशि व्यय की गई	दिनांक
1	उज्जैन	2014-15 01.01.15 से 31.03.2015	465308	0	0	नया, उज्जैन की प्राथमिक परिवहन द्वारा स्वीकृत 4000 की शाला सार्वजनिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
2	उज्जैन	2014-15 01.04.15 से 31.03.2016	3175972	2558892	जीवाजीगढ़ स्कूल में सैन्य निर्माण	शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
		2014-15 01.04.16 से 30.02.2017	4090504	17231008	वार्ड 52 में शाला सदन निर्माण	
		0	7720794	4283000		
		2015	121800	0	0	शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
		2016	195255	521800	0	शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
		2017	11893	0	0	शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
			310808	521800		शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
3	उज्जैन	वृष. साधारण	410375	263765	सांख्यिक विभाग में शाला संस्था निर्माण	शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।
			410875	263765		शाला संस्था, उज्जैन की प्राथमिक शिक्षा संस्थान की राशि से व्यय किया गया है।

अ. न. प्र. सं. 147110
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता	दिनांक	राशि	विवरण	कुल राशि	टिप्पणी
4	श्री. मणिराम	श्री. मणिराम	01.01.15 से 28.02.2017	339162	427256	86694	शासकिय विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक कार्य के निमित्त कार्य में राशि व्यय की गई, अतिरिक्त राशि रु. 86694 का व्यय निम्नलिखित विधि से किया गया।
4	श्री. मणिराम	श्री. मणिराम	अप्रैल 2015 से मार्च 2015 तक	339162	427256	86694	श्री. मणिराम को राशि रु. 2128926 निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त कराया गया है।
			2015-2016	186845	0		
			2016-17 दिनांक 28.02.2017 तक	1633173	470748		
				1592268	611394		
5	श्री. मणिराम	श्री. मणिराम	01.01.15 से प्रथम दिनांक तक	3411068	1082142	2328926	श्री. मणिराम को राशि रु. 2328926 व्यय नूरी किताबें तथा निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त कराया गया है।
				57598	0		
6	श्री. मणिराम	श्री. मणिराम	01.01.15 से फरवरी 2017 तक	57598	0	57598	श्री. मणिराम को राशि रु. 57598 निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त कराया गया है।
				76363	0		
				76363	0		
7	श्री. मणिराम	श्री. मणिराम	01.01.15 से फरवरी 2017 तक	111812	0	111812	श्री. मणिराम को राशि रु. 111812 निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त कराया गया है।
				111812	0		
				111812	0		
				32482470	6577966		

for सचिव, राष्ट्रीय विकास एवं आवास विभाग
 28/02/2017
 श्री. मणिराम प्रशासन एवं विकास
 उत्तरांचल, रायबरेल, उत्तरांचल

राष्ट्रीय विकास एवं आवास विभाग
 मध्य प्रदेश शासन

परिशिष्ट 'ब'

निकायिका प्रश्न कु - 6524


मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 4050/18-3/99

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 99

प्रति,

1. सम्स्त आयुक्त, नगरपालिका निगम, मध्य प्रदेश ।
2. सम्स्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, मध्य प्रदेश ।



विषय :- शिक्षा उपकर का आरोपण ।

जैसा कि विहित ही है राज्य सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जा चुका है और उनके संचालन व रख-रखाव की जिम्मेवारी नगरीय निकायों पर आ गई है । स्वाभाविक है कि इसके कारण नगरीय निकायों पर वित्तीय भार और बढ़ गया है, परन्तु इसके साथ यह भी नितांत आवश्यक है कि स्कूलों का संचालन समुचित ढंग से हो एवं वांछित आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध रहे साथ ही स्कूलों का रख-रखाव भी भली-भांति हो । इसके लिए निश्चित ही नगरीय निकायों को आय के अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता होगी । अतएव इस पर विचार करने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों को शिक्षा उपकर के रूप में एक अतिरिक्त स्रोत दिया जाय । तदनुसार राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम अधिनियम, 1956 की धारा 132 की उपधारा (6) के खण्ड (ओ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 12 की उपधारा (6) के खण्ड (ओ) अनुसार नगरीय निकायों को शिक्षा उपकर आरोपित करने की शक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान करता है :-

“ ऐसे भवन व भूमि जो संपत्तिकर से मुक्त है, को छोड़कर अन्य भवन/भूमि पर उनके वार्षिक भाड़ा मूल्य पर उस दर से आरोपित किया जाय जो दर नगरीय निकाय निर्धारित करें, परन्तु यह दर वार्षिक भाड़ा मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगी । ”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

उक्त प्रमाण के प्रस्तावकार
जो न AR 0 से सम्बन्धित निकायों
सर्वेकार 1980 के अनुसार निकायों
के आवासीय भागों

25/10/99

(के.पी. राठी)
उप सचिव
म. प्र. शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग